



**विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन**  
**कार्य परिषद् के सदस्यों की सूची**

क्र.	नाम	दूरभाष कार्यालय	अवधि	निवास
------	-----	--------------------	------	-------

**विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (एक) - कुलपति**

01. प्रो.अखिलेश कुमार पाण्डेय  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
- कुलपति - अध्यक्ष  
2514270

**विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (एक-क) - कुलाधिसचिव**

01. रिक्त कुलाधिसचिव

**विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (दो) - चार संकायाध्यक्ष**

मोबा.न.

01. डॉ.अरुणा सेठी, (विधि, संकाय) 28.08.2023 से 9425195820  
आचार्य, शा.माधव विधि महाविद्यालय, 29.09.2024 तक  
उज्जैन।
02. डॉ.मन्सूर खान, (वाणिज्य, संकाय) 28.08.2023 से 7987084621  
आचार्य, शा.माधव कला एवं वाणिज्य 29.09.2024 तक  
महाविद्यालय, उज्जैन।
03. डॉ.(श्रीमती) उमा शर्मा, (विज्ञान, संकाय) 28.08.2023 से 9826840614  
आचार्य, रसायन एवं जैव रसायन अ.शा., 08.02.2025 तक  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. रिक्त

**विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (तीन) - सभा द्वारा अपने सदस्यों में से, एक संक्रमणीय  
पदात द्वारा, निर्वाचित किये गये तीन व्यक्ति**

01. रिक्त  
02. रिक्त  
03. रिक्त

**विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (चार) - दो विश्वविद्यालयीन आचार्य**

01. डॉ. दीपक गुप्ता, 15.06.2023 से 9009513919  
आचार्य, पं. जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध 14.06.2026 तक  
अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
02. डॉ. अचला शर्मा, 07.03.2024 से 9425985394  
आचार्य, अंग्रेजी अध्ययनशाला, 06.03.2027 तक  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरंतर...02

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (पांच) - चार प्राचार्य

- |     |   |                                |            |
|-----|---|--------------------------------|------------|
| 01. | डॉ. हर्षा क्षीरसागर, प्राचार्य,<br>बी.सी.जी.शिक्षा महाविद्यालय,<br>देवास। | 16.06.2022 से<br>15.06.2025 तक | 7999477935 |
| 02. | रिक्त   |                                |            |
| 03. | रिक्त   |                                |            |
| 04. | रिक्त   |                                |            |

(1) (छः) - शिक्षा सचिव

01. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (सात) - वित्त सचिव

01. वित्त सचिव

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1) (आठ) - कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित छः सदस्य

- |    |  |                                |            |
|----|--|--------------------------------|------------|
| 1. | श्री संजय नाहर, एडवोकेट,<br>70, नाकोडा कुंज, वरुची मार्ग,<br>फ्रीगंज, उज्जैन।                        | 15.04.2021 से<br>14.04.2024 तक | 9827274704 |
| 2. | श्री वरुण गुप्ता,<br>51, भक्त नगर ए सेठी नगर के पास,<br>जी.डी.सी. रोड, उज्जैन।                       | 31.01.2024 से<br>30.01.2027 तक | 9827280605 |
| 3. | श्री राजेश सिंह कुशवाह,<br>22, डाबरी पीठा, तिलक मार्ग,<br>उज्जैन।                                    | 31.01.2024 से<br>30.01.2027 तक | 9425093393 |
| 4. | डॉ. मंजूषा मिमरोट,<br>53/11, किशनपुरा, संजोग इंडेन, मक्सी रोड,<br>उज्जैन (म.प्र.)                    | 31.01.2024 से<br>30.01.2027 तक | 9827580512 |
| 5. | श्रीमती कुसुमलता निंगवाल,<br>पुर्व प्राचार्य,<br>61-सीबी, स्कीम 140, पिपल्याहाना,<br>इन्दौर (म.प्र.) | 31.01.2024 से<br>30.01.2027 तक | 9425948499 |
| 6. | डॉ. संजय वर्मा,<br>एम.आई.जी. 06, मुनि नगर,<br>इन्दौर रोड, उज्जैन (म.प्र.)                            | 31.01.2024 से<br>30.01.2027 तक | 8319853816 |

डॉ. अनिल कुमार शर्मा  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

कुलसचिव

सचिव

कुलसचिव  
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।